Order Sheet (Subsequent)

कार्यालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक), जोधपुर

2021/181 CNR NUMBER

Number of Case A/309/ Year 2021

ललीता Versus छत्तरसिंह व अन्य

U/S - 212 R.T.A. 1955

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
22/4/26	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप॰। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस वकुलाय पर मनन किया गया तथा संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया गया। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रा.पत्र भली-भांति साबित न होने एवं सारहीन होने से खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) जोधपुर सत्यमेव जयते	

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : मधुलिका सींवर आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र सं. : A/309/2024 (GCMS No 2021/181)

– : : अनवान् : : –

प्रार्थीनी :–

श्रीमती ललिता पत्नी श्री प्रकाश जी, जाति ओसवाल, उम्र 48 वर्ष निवासी कुडछी, तहसील व जिला नागौर जरिये अपने आममुख्त्यार श्री ओमप्रकाश काकरिया पुत्र श्री जवारीलाल जी काकरिया, उम्र 65 वर्ष, जाति काकरिया ओसवाल, निवासी 33 बी, शक्ति नगर, दूसरी सड़क, पावटा सी रोड, जोधपुर।

– : बनाम् : –

अप्रार्थीगण :–

1. छत्तरसिंह पुत्र श्री तेजसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम देसूरिया खारोलान तहसील व जिला जोधपुर।
2. श्रीमती उगम कंवर उर्फ मुनी कंवर पत्नी श्री छत्तर सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम देसूरिया खारोलान तहसील व जिला जोधपुर।
3. नाथुसिंह पुत्र श्री छत्तरसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम देसूरिया खारोलान तहसील व जिला जोधपुर।
4. नारायण सिंह पुत्र श्री छत्तरसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम देसूरिया खारोलान तहसील व जिला जोधपुर।

– : : निर्णय : : – दिनांक : 22.04.2026

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

अधिवक्तागण –

1. श्री अक्षय कुमार दवे, नवीन शर्मा, मनोहरसिंह व संजना धाणदिया अधिवक्तागण प्रार्थीनी
2. श्री प्रताप सिंह राठौड़, ईश्वर सिंह व मिनाक्षी अधिवक्तागण अप्रार्थी सं. 01 से 04

उपरोक्तानुसार प्रार्थीनी/वादीनी ने जरिये अधिवक्तागण एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट प्रस्तुत कर निम्नानुसार निवेदन किया है कि –

प्रार्थीनी मूल रूप से कुड़छी तहसील व जिला नागौर की निवासी है जो अपने अन्य दीगर कार्यों में अत्यधिक व्यस्त रहती है जिस कारण प्रार्थीनी द्वारा खसरा नं 94/6 वाके ग्राम देसुरिया खारोलान तहसील व जिला जोधपुर के अपनी खरीदसुदा भूखण्ड चक संख्या 9 व 10 के बाबत्

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) सत्यमेव जयते जोधपुर

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर

अनेक प्रकार की कार्यवाही करने में असमर्थ रहती है। जिस कारण प्रार्थीनी द्वारा एक आम मुख्तयार नामा अपने विश्वासपात्र श्री ओमप्रकाश कांकरिया के हक में दिनांक 31/8/2013 को लिखकर निष्पादित कर दिया था जो कभी भी निरस्त नहीं किया गया है एवं उक्त आम मुख्त्यारनामा आज दिन तक प्रभावशील है जिस मुख्त्यारनामे के आधार पर यह वाद प्रार्थीनी द्वारा अपने आम मुख्त्यार ओमप्रकाश काकरिया के जरिये प्रस्तुत करवाया जा रहा है। प्रार्थीनी की खातेदारी की कब्जा काश्तशुदा कृषि भूमि वाके खसरा नं 94/6 ग्राम देसूरिया खारोलान तहसील व जिला जोधपुर में स्थित है जिस भूमि के पूर्व खातेदार काश्तकार श्री गणपत सिंह पुत्र श्री गोपाराम, जाति माली एवं श्री गिरधारी लाल पुत्र श्री अम्बालाल थे। श्री गणपसिंह द्वारा स्वयं एवं गिरधारी लाल के आम मुख्त्यार की हैसियत से उपरोक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि रकबा 141 बीघा 6 बिस्वा 16 बिस्वांसी में से कुल 2 चक, चक संख्या 9 व 10 की कुल भूमि 2269 वर्गफुट भूमि का विधिवत रूप से दिनांक 15/4/2013 को दो पृथक–पृथक विक्रय विलेख के जरिये विक्रय कर उसका कब्जा भी प्रार्थीनी को बरवक्त विक्रय सुपुर्द कर दिया, तब से प्रार्थीनी अपनी खरीदशुदा उपरोक्त 2269 वर्गफुट भूमि पर बहैसियत खातेदार काश्तकार के काबिज है। पूर्व खातेदार द्वारा अपनी उपरोक्त खसरा नं 94/6 ग्राम देसूरिया खारोलान सम्पूर्ण भूमि को रास्ते की भूमि छोड़ते हुए चक में विभाजित करते हुए विक्रय किया गया था जिसके अनुसार प्रार्थीनी द्वारा चक संख्या नौ व दस कुल रकबा 2269 वर्गफुट खरीद की गई थी। अप्रार्थी संख्या दो स्वयं को खसरा नं 94/6 की कृषि भूमि की उत्तरी दिशा की खातेदार दर्शा रही है एवं स्वयं के हिस्से की भूमि मूल खसरा नं 6 होना बता रही है। अप्रार्थी संख्या एक अप्रार्थी संख्या दो का पति है एवं बकाया अप्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या एक व दो के पुत्र है, जो आपस में षड़यंत्र कर प्रार्थीनी की भूमि हड़पने की फिराख में है। यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रार्थीनी की खरीदसुदा भूमि के पश्चात् उत्तर दिशा में खसरा संख्या 94/6 के दीगर क्रेतागण की खरीदसुदा की भूमि है जिस पर उक्त क्रेतागण द्वारा अपने रहवासीय एवं अन्य ठाव भी बने हुए है जिस भूमि पर ये व्यक्ति काबिज है तथा उपयोग उपभोग करते आ रहे है। खसरा नं 94/6 बाबत् अप्रार्थीगण का आज दिन तक किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा व अधिकार नहीं रहा है। उपरोक्त खातेदारी की वादग्रस्त भूमि के उत्तर पूर्व में सम्पूर्ण भूमि पर सुरक्षा की दृष्टि से बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य भी कर रखा है। अप्रार्थीगण अवैध व अनाधिकार रूप से प्रार्थीनी की खरीदसुदा वादग्रस्त भूमि पर कब्जा करने की फिराक में है। इसी सिलसिले में अप्रार्थीगण ने एकराय होकर हमला बोल दिया एवं पूर्व से सुरक्षा की दृष्टि निर्मित दीवार को भी पूर्णतः क्षतिग्रस्त कर दिया। जिसकी जानकारी प्रार्थीनी को उसके रिश्तेदार श्री दीपक जैन के जरिये दिनांक 25/7/2021 को हुई। जिस बाबत् प्रार्थीनी द्वारा अपने रिश्तेदार दीपक जैन के जरिये एक प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 101 दिनांक 25/7/2021 पुलिस थाना करवड़ में दर्ज करवाई। अप्रार्थीगण द्वारा की गई उपरोक्त अवैध कार्यवाही के बाबत्

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) जोधपुर

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जोधपुर

प्रार्थीनी द्वारा अपने रिश्तेदार दीपक जैन के जरिये दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से कथन किया गया था कि अप्रार्थीगण द्वारा अवैध व अनाधिकार रूप से वादग्रस्त भूमि पर स्थित दीवार तोड़ दी है तथा निर्माण सामग्री चोरी करके लेकर चले गये है जिससे प्रार्थीनी एवं दीगर क्रेतागण को करीब 20,000/– रूपये का नुकसान भी हुआ है। अप्रार्थीगण को समझाइश करने का प्रयास किया गया किन्तु अप्रार्थीगण अत्यधिक आक्रोशित होकर प्रार्थीनी एवं उसके परिवार के व्यक्तियों के साथ लड़ाई–झगड़ा व दंगा फसाद करने लगे। अप्रार्थीगण आपराधिक प्रवृति के व्यक्ति है जो संख्या बल में अधिक होने के कारण प्रार्थीनी उनका सामना नहीं कर सकती। अप्रार्थीगण प्रार्थीनी की किसी प्रकार की कोई बात मानने को तैयार ही नहीं है एवं वादग्रस्त भूमि पर कब्जा करने की फिराक में है जिसका उन्हें कोई हक व अधिकार नहीं है। अप्रार्थीगण खसरा नं 6 की भूमि दर्शाकर स्वयं को उसका खरीददार बता रहे हैं तथा अवैध व अनाधिकार रूप से प्रार्थीनी की खसरा नं 94/6 की 2269 वर्गफुट भूमि से प्रार्थीनी को बेदखल करने पर आमादा है। अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि को भूखण्डों में विभाजित कर खुर्द बुर्द करना चाहते हैं। प्रार्थीनी के बार–बार निवेदन पर भी अप्रार्थीगण नहीं मान रहे हैं। अप्रार्थी संख्या एक स्वयं एक आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है जिसके पास काफी मात्रा में असामाजिक तत्व भी है जिनके सहयोग से वह किसी भी समय वादग्रस्त भूमि पर कब्जा कर सकते है व निर्माण कार्य कर सकते हैं जिसकी धमकियां अप्रार्थीगण प्रार्थीनी को दी है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीनी के पास यह वाद पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहा है। उपरोक्तानुसार प्रार्थीनी के हक में सुदृढ़ प्रथम दृष्टया वाद सिद्ध है सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीनी के पक्ष में है। यदि अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि या उसके किसी हिस्से पर अवैध व अनाधिकार रूप से कब्जा करने में सफल हो जाते है तो प्रार्थीनी को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ताफैसला मूल वाद अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे अप्रार्थीगण स्वयं या अपने किसी रिश्तेदार मुख्त्यार एजेन्ट ठेकेदार या मजदूर अथवा अन्य किसी के द्वारा प्रार्थीनी की खसरा नं 94/6 ग्राम देसुरिया खारोलान तहसील व जिला जोधपुर की खरीदसुदा भूमि जिसके पड़ोस प्रार्थना पत्र के पद संख्या 4 में उल्लेखित किये गये है, कि भूमि या उसके किसी हिस्से पर कोई दखलअन्दाजी हस्तक्षेप निर्माण कार्य व हस्तान्तरण ना तो स्वयं करे एवं ना ही अन्य के मार्फत करावे। हर्जा खर्चा दीगर दादरसी लाभप्रद प्रार्थीनी अप्रार्थीगण से दिलाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को सम्मन जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 01 से 04 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रताप सिंह राठौड़, ईश्वर सिंह एवं कंचन राठौड़ ने वकालतनामा व जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उभयपक्षकारान् की बहस सुनी गई।

अप्रार्थी सं. 01 से 04 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्नानुसार निवेदन किया हैं कि –

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) जोधपुर सत्यमेव जयते

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जोधपुर

पद संख्या 1 का जवाब इस प्रकार है कि प्रार्थीनी ने एक स्थाई निषेधाज्ञा का वाद न्यायालय हाजा में जरूर पेश किया है जो गलत तथ्य पेश किया है जिसे उसे सफलता मिलने की कतई उम्मीद नही है। पद संख्या 02 का जवाब इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र के साथ आम मुख्तयारनामे की नकल अप्रार्थीगण को नहीं दी गयी है नकल के अभाव में इस पद का जवाब नहीं दिया जा सकता है शेष तथ्य जानकारी के अभाव में अस्वीकार किये जाते है। पद संख्या 3 गलत होने से अस्वीकार किया जाता है प्रार्थीनी का कोई कब्जासुदा खेत वाके देसुरिया में नही आया हुआ है। गणपतसिंह ने 141 बीघा भूमि का किस किस को बेचान किया उसकी जानकारी अप्रार्थीगणको नही है गणपत सिंह के खेत में कितनी भूमि थी इसकी जानकारी भी अप्रार्थीगण को नही है. मौके पर इस प्रकार की भूमि नाही है और न ही प्रार्थीनी का कब्जा काश्त है मौके पर यह भूमि खेत खरा संख्या 6 अप्रार्थीगण संख्या 2 के खातेदारी की है जिस पर प्रतिप्रार्थीनी का कब्जा काश्त है जिसके चारो और सीमा सुरक्षित की हुई है और आज दिन भी मौके पर अप्रार्थीगण संख्या 2 का बिज है तथा मौके पर 94/6 नक्शे में कही दर्ज नहीं है। प्रार्थीनी का कभी भी मौके पर कब्जा काश्त नही था ना ही आज दिन है। बिना कब्जे के अभाव में स्थाई निषेधाज्ञा का दावा चलने योग्य नहीं होने से काबिले खारिज है। पद संख्या 4 जिस प्रकार से लिखा गया है गलत होने से अस्वीकार किया जाता है मौके पर खसरा संख्या 94/6 नही है इस खेत को चक में विभाजित कर किस किस बेचा इसकी जानकारी अप्रार्थीगण को नही है तथा मौके पर अप्रार्थीगण संख्या 2 अपनी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 6 पर काबिज है केवल तंग परेशान करने के लिए वाद पेश किया है इस पद में जो पडौस अंकित किए है वो गलत है उक्त खेत मौके पर मेल नही खाते मौके पर कोई भी चक आज दिन तक मौजुद नही है गणपसिंह की पत्नी ने भी एक वाद न्यायालय हाजा में पेश किया है जिसने सम्पूर्ण भूमि अपनी बताई है तथा मौके पर सडक 200 फीट चौडी है प्रार्थीनी द्वारा जो खेत खसरा संख्या 94/6 मुख्य मण्डोर रोड पर बताया गया है वहा पर यह खसरा नही है प्रार्थीनी ने जो जगह बताई है वहां पर खेत संख्या 6 की भूमि आई हुई है। तथा उस पर अप्रार्थीगण उगम कंवर रेकर्ड खातेदार काबिज काश्तकार है तथा उसमें दुकाने बनी है बिजली का बिल भी उगम कंवर के नाम से है तथा हल्का पटवारी द्वारा उगम कंवर की खतेदारी व कब्जा माना है तथा खेत खसरा संख्या 94/6 मौके पर नहीं है और न ही ट्रेस नक्शे में अंकित है फिर भी प्रार्थीनी गलत तथ्यों के आधार पर वाद पेश किया जो चलने योग्य नही होने से खारिज किए जाने योग्य है। संख्या 5 गलत होने से अस्वीकार किया जाता है मौके पर खेत खसरा संख्या 6 की भूमि आई हुई है जिस पर अप्रार्थीगण संख्या 02 खातेदार काबिज काश्तकार है जिसमें करीब 18 बीघा भूमि अप्रार्थीगण संख्या 02 उगम कंवर के नाम से है प्रार्थीनी गलत तथ्यों को बताकर अप्रार्थीगण की भूमि हड़पना चाहती है जिसका उसे कोई अधिकार नही है पी डब्ल्यू डी द्वारा सड़क चौडी होने पर उसका मुआवजा अप्रार्थीगण संख्या 2

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) जोधपुर

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर

उगम कंवर को किया था शेष सम्पूर्ण तथा गलत अंकित किए गए है। तथा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूमि पर अप्रार्थीया उगम कंवर का कब्जा माना है तथा खसरा संख्या 94/6 किस जगह आया हुआ वह ट्रेस नक्षे में अंकित नहीं होने से नहीं बताया जा सकता कि किसकी भूमि कहां पर है कब्जे के अभाव में अस्थाई निषेधाज्ञा का काबिले खारिज है। पद संख्या 6 गलत होने से अस्वीकार किया जाता है मौके पर इस प्रकार की कोई भूमि खेत खसरा संख्या 94/6 की नही आई हुई है और नही कोई रहवासीय ढाणी बनी है तथा न ही मौके पर प्रार्थीनी काबिज है अप्रार्थीगण संख्या 2 रेकर्ड खातेदार है जब जोधपुर से नागौर रोड का विस्तार हुआ है उसमें भी नागौर रोड पर जमीन एक्यूर की गयी थी उसमें भी खेत खसरा संख्या 6 अप्रार्थीगण संख्या 2 की आई हुई है तथा उसमें भी मुआवजा भी उगम कंवर को मिला था इससे नागौर रोड पर प्रार्थीनी कोई खेत खसरा संख्या 94/6 नही आया हुआ है। तथा भूखण्डों की सुनवाई का अधिकार सिविल न्यायालय को है। पद संख्या 07 गलत होने से अस्वीकार किया जाता है उत्तर पूर्व मे किसी प्रकार की कोई बाउण्ड्री नाल का निर्माण नहीं है इस सर्व में यह तथ्य गलत अंकित किए गए है केवल मात्र अप्रार्थीगण संख्या 2 को जमीन हडपने के लिए वाद पेश किया गया है जो भूमि बताई गई वो खेत खरारा संख्या 6 है। पद संख्या 8 गलत होने से अस्वीकार किया जाता है कि इस भूमि में प्रार्थीनी का कही कोई कब्जा काश्त नहीं रहा या गलत तथ्यों के आधार पर मुकदमा दर्ज करवाया गया था अप्रार्थीगण संख्या 2 के विरूद्ध किसी प्रकार कोई मुकदमा नहीं है अप्रार्थीगण संख्या 2 खेत के खातेदार काश्तकार है तथा मौके पर काबिज है प्रार्थीनी मौके पर काबिज नहीं है और न ही उनकी कोई भूमि वहां पर आई हुई है। पद संख्या 9 गलत होने से अस्वीकार किया जाता है अप्रार्थीगण ने कभी कोई लडाई झगडा नहीं किया जायें। प्रार्थीनी एवं उसके परिवार वालो ने लडाई झगडे किए जिस सम्बन्ध में मुकदमें भूमि काबिज में विचाराधीन है तथा अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस पद में लिखी गई भाषा गलत है जब कि अप्रार्थीगण अपने गांव का भूतभूर्व सरपंच है तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति है इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है जो अशोभनीय है मौके पर अप्रार्थीगण की दुकाने व बाउण्डी बनी हुई है तथा काबिज है तथा उक्त भूमि में सहखातेदार आवश्यक पक्षकार है तथा उनको पक्षकार नही बनाया गया है धारा 211 राज का अधि के प्रावधानो के तहत धारा 188 राजरथान काश्तकारी अधिनियम के तहत दावा पेश करने पर राहखातेदारो को पक्षकार नहीं बनाया है इन आधार पर वाद खारिज किए जाने योग्य है। पद संख्या 10 गलत होने से अस्वीकार किया जाता है कि प्रार्थीनी के हक में प्रथम दुष्टया वाद नही है और नहीं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीनी के पक्ष में है और न ही मौके पर प्रार्थीनी काबिज है इसलिए अपूर्ण क्षति का प्रश्न पैदा नहीं होता जिसकी अप्रार्थीगण संख्या 2 काबिज काश्तकार खातेदार है मौके पर दुकाने बनी हुई है बिजली का बिल अप्रार्थीगण संख्या 2 के नाम है तथा पीडब्ल्यूडी से प्रार्थीया संख्या 02 को मुआवजा मिला था इसलिए प्रथम दृष्टया मामला

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) जोधपुर

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर

सुविधा का संतुलन अपूर्णी हानि अप्रार्थीगण संख्या 2 के पक्ष में है। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि उक्त प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्च को खारिज फरमावें तथा अन्य उचित आदेश हो अप्रार्थीगण के पक्ष में अता फरमावें।

हमने पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 मय दस्तावेजात् व जवाब प्रार्थना पत्र का गहनता से अध्ययन, अवलोकन किया। संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। हम प्रकरण का अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित बिन्दूओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते हैं :–

पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट हैं कि वादीनी/प्रार्थीनी द्वारा वादग्रस्त आराजी ग्राम देसूरिया खारोलान, तहसील व जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 94/6 में से चक संख्या 9 व 10 की कुल 269 वर्गफुट भूमि के संबंध में वाद अन्तर्गत धारा 188 बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर दौराने वाद विचारण अस्थाई निषेधाज्ञा की प्रार्थना की है। अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान करने हेतु यह आवश्यक है कि प्रार्थीगण निम्नलिखित तीन तत्वों को सिद्ध करें :–

1. **प्रथम दृष्टया मामला** :– प्रकरण में प्रार्थीनी द्वारा अपने कथनों में यह दर्शाया गया है कि वह विवादित भूमि की खरीदार एवं कब्जाधारी है तथा विक्रय विलेख के आधार पर उसका अधिकार स्थापित है। किन्तु अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से उसका वास्तविक, निर्विवाद एवं वर्तमान कब्जा प्रथम दृष्टया स्थापित नहीं होता है। अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भूमि की वास्तविक स्थिति, खसरा संख्या एवं सीमांकन भिन्न है तथा प्रार्थीनी द्वारा वर्णित भूमि और वास्तविक स्थल में अंतर है। साथ ही यह भी प्रतिपादित किया गया है कि प्रार्थीनी का कब्जा कभी स्थापित नहीं रहा है। इस प्रकार, उपलब्ध अभिलेखों एवं कथनों से यह परिलक्षित होता है कि प्रार्थी अपने अधिकार एवं कब्जे के संबंध में प्रथम दृष्टया कोई स्पष्ट एवं विश्वसनीय आधार प्रस्तुत करने में असफल रही है। अतः न्यायालय विवेचन अनुसार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में स्थापित नहीं होता है।
2. **सुविधा का संतुलन** :– सुविधा के संतुलन के परीक्षण में यह देखा जाना आवश्यक है कि निषेधाज्ञा देने अथवा न देने से किस पक्ष को अधिक हानि या असुविधा होगी। अप्रार्थीगण का यह कथन है कि वे विवादित भूमि के वास्तविक कब्जाधारी हैं तथा लंबे समय से उसका उपयोग कर रहे हैं। यदि इस अवस्था में उनके विरुद्ध निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो उनके वैध उपयोग एवं अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर, प्रार्थीनी द्वारा अपना कब्जा स्पष्ट रूप से स्थापित नहीं किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में यदि निषेधाज्ञा प्रदान की जाती है तो यह प्रथम दृष्टया अप्रार्थीगण के अधिकारों में अनावश्यक

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जोधपुर

हस्तक्षेप होगा। अतः न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में न होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में है।

3. **अपूरणीय क्षति :–** प्रार्थीनी द्वारा यह तर्क दिया गया है कि यदि निषेधाज्ञा प्रदान नहीं की गई तो उसे अपूर्णीय क्षति होगी। किन्तु जब प्रार्थीनी का कब्जा ही प्रथम दृष्टया स्थापित नही है, तब ऐसी क्षति की संभावना भी अनुमानित एवं अनिश्चित प्रतीत होती है। इसके अतिरिक्त, यदि वाद के अंतिम निर्णय में प्रार्थी का अधिकार सिद्ध होता है, तो उसे विधि द्वारा उपलब्ध उपायों के माध्यम से समुचित राहत प्राप्त की जा सकती है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि प्रार्थी को ऐसी कोई अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति संभव न हो। इस प्रकार, अपूर्णीय क्षति का तत्व भी प्रार्थीनी के पक्ष में सिद्ध नहीं होता है।

उपरोक्त समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं विधिक परीक्षण के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि प्रार्थीनी अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान किए जाने हेतु आवश्यक तीनों आधारभूत तत्वों – प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति – को स्थापित करने में असफल रही है।

अतः उपर्युक्त बिन्दुवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत हैं कि प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 भंली–भांति साबित नही होने एवं सारवान नहीं होने से अस्वीकार/खारिज किया जाना उचित एवं विधिसम्मत् समझते है।

: : आदेश : :

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीनी अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 भंली–भांति साबित नहीं होने एवं सारवान नहीं होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर संख्या एक से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर
(मधुलिका सीपेर)
आर.ए.एस
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर

निर्णय आज दिनांक 22.04.2026 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर
(मधुलिका सीपेर)
आर.ए.एस
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर